374 ① 482

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

R 2963-तीन/13

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

राजमणि तनय श्री बद्री प्रसाद मिश्र, निवासी ग्राम भमरा, तह. सिरमौर हाल सेमरिया, जिला रीवा म.प्र. ----- निगरानीकर्ता

बनाम

मंगलेश्वर सिंह तनय श्री बैजनाथ सिंह, निवासी भमरा, तह. सिरमौर, जिला रीवा म.प्र. --- गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध अपर कलेक्टर रीवा
प्र.क्र. 446/अ-70/2010-11 आदेश दि. 31.5.2013

=============================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

=============================

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य

निगरानीकर्ता द्वारा तहसील सेमरिया के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नं.507 रकबा 2.32ए. का वह भूमिस्वामी है। उक्त भूमि कृषि योग्य है तथा उसके अधिपत्य की है उक्त भूमि से अंश रकबा 0.1 एकड़ में तत्कालीन सरपंच मंगलेश्वर सिंह के द्वारा जबरन सरहंगीपूर्वक 15कड़ी चौड़ा 5 जरीब लम्बा खेती लगाकर दिनांक 15.3.93 को मिट्टी डालकर सड़क का निर्माण कराना शुरू कर दिया गया है। निगराकार ने अपने खेत में

क्रमशः...2//

राजमणि

<u>XXXIX(a)-BR(H)-11</u>

(374)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2963-III / 13** जिला–रीवा

राजमणि मिश्रा / मंगलेश्वर सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 446 / अ–70 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	